भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 53

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत वितरित ऋण

53. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है तथा महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा वितरित ऋणों की राशि का सामाजिक वर्गवार, धार्मिक समूहवार, लिंगवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि जरूरतमंद व्यक्तियों का समूह उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सके;

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के परभणी तथा यवतलाम-वाशिम और अमरावती संसदीय क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत पुरुष तथा महिला लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा उक्त पीएमएमवाई योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों, महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्ग को ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में उक्त योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा बढ़ाने तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करने के मानदंडों में छुट देने का है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) द्वारा संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।

कोई भी व्यक्ति जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिनके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है वे योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वे विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन गतिविधियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 2015 से पीएमएमवाई के अंतर्गत 32.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के 51.67 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कार्यनिष्पादन को अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

(ख): सरकार ने वर्ष 2018 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से और वर्ष 2023 में नीति आयोग के माध्यम से प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक दो मूल्यांकन किए हैं।

पिछले पांच वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों में संवितरित ऋणों का सामाजिक वर्ग-वार, लिंग-वार और राज्य-वार संख्या और संवितरित राशि का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत संवितरित ऋणों के लिए प्राप्त आवेदनों और धार्मिक समूह-वार आंकड़ों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ): सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचार अभियान, आवेदन प्रपत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, आबंटित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की निगरानी करने के लिए सरकार और बैंकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षाएं करना शामिल हैं।

दिनांक 24.1.2025 तक महाराष्ट्र के परभणी, यवतमाल, वाशीम और अमरावती जिलों में पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत ऋण खातों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

जिला*	**स्वीकृत ऋण खातों की संख्या**	**(ख) में से महिलाओं को स्वीकृत ऋण खाते**
(क)	**(ख)**	**(ग)**
परभणी	4,53,478	3,68,616
यवतमाल	17,52,528	16,24,768
वाशीम	4,86,198	4,26,276
अमरावती	12,65,974	11,38,364
कुल	39,58,178	35,58,024

*वित्तीय वर्ष 2015-16 के आंकड़े और कुछेक एनबीएफसी/एमएफआई के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।
स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार।

(च): वर्ष 2024-2025 के बजट घोषणा के अनुसार, मुद्रा ऋण की सीमा नई श्रेणी ‘तरुण प्लस’ के अंतर्गत उन उद्यमियों के लिए दिनांक 24.10.2024 से 10 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत ऋणों का लाभ उठाया है और पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है।

इसकी सूचना दिनांक 25.10.2024 को सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को दे दी गई है और ऋण नई श्रेणी के अंतर्गत संवितरित किए जा रहे हैं।

*****

दिनांक 03.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) के संदर्भ में अनुलग्नक I

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

दिनांक 24.01.2025 की स्थिति के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	53,620	1,129.37	1,106.97
2	आंध्र प्रदेश	10,056,380	118,432.55	114,486.90
3	अरुणाचल प्रदेश	135,705	1,736.54	1,680.97
4	असम	11,337,821	63,700.34	62,234.08
5	बिहार	58,634,796	290,127.43	277,322.46
6	चंडीगढ़	194,515	3,259.86	3,161.91
7	छत्तीसगढ	9,829,120	60,275.80	57,390.29
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	40,837	709.93	683.99
9	दिल्ली	3,488,717	40,282.30	39,415.91
10	गोवा	378,435	5,300.44	5,080.06
11	गुजरात	15,460,637	126,477.50	124,685.18
12	हरियाणा	9,394,465	71,560.57	69,519.64
13	हिमाचल प्रदेश	1,111,999	22,079.11	20,929.76
14	झारखंड	15,146,407	78,312.16	76,284.30
15	कर्नाटक	49,448,747	301,492.57	297,505.87
16	केरल	16,834,944	115,936.22	114,127.39
17	लक्षद्वीप	11,917	179.65	171.53
18	मध्य प्रदेश	30,731,488	177,199.51	171,231.02
19	महाराष्ट्र	41,342,930	273,502.10	269,023.15
20	मणिपुर	458,604	3,077.02	2,900.37
21	मेघालय	288,853	2,859.05	2,795.04
22	मिजोरम	161,757	2,822.79	2,704.50
23	नागालैंड	152,076	2,270.27	2,148.91
24	ओडिशा	33,340,585	150,036.16	147,037.65
25	पुदुचेरी	1,210,839	7,573.94	7,482.06
26	पंजाब	9,588,282	76,820.41	73,661.58
27	राजस्थान	22,101,449	171,624.87	168,823.95
28	सिक्किम	165,733	1,683.79	1,632.37
29	तमिलनाडु	57,928,924	324,114.71	320,997.51
30	तेलंगाना	7,596,552	72,006.90	70,546.71
31	त्रिपुरा	3,137,904	17,598.83	17,249.30
32	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	2,072,922	46,024.02	44,386.18
33	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	61,260	1,887.74	1,856.42
34	उत्तर प्रदेश	50,846,706	316,009.08	307,255.11
35	उत्तराखंड	3,252,495	30,672.81	29,823.95
36	पश्चिम बंगाल	50,715,876	282,521.07	277,712.37
कुल		**516,714,297**	**3,261,297.41**	**3,185,055.36**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

दिनांक 03.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (ख) के संदर्भ में अनुलग्नक II

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिपोर्ट (01.04.2019 से 31.03.2024 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ राज्य सघं क्षेत्र	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी		कुल		(कुल में से) महिला उद्यमी	
		ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12,782	459.11	208	5.74	107	3.17	2,599	51.42	**15,696**	**519.44**	3,251	60.82
2	आंध्र प्रदेश	3,971,392	51,211.57	474,966	4,230.30	111,896	1,213.96	1,493,596	12,230.28	**6,051,850**	**68,886.12**	2,664,515	18,315.61
3	अरुणाचल प्रदेश	28,038	438.79	5,051	24.17	32,921	443.19	12,766	64.28	**78,776**	**970.42**	24,906	191.55
4	असम	3,842,847	26,698.04	241,505	1,348.10	208,441	1,260.57	569,710	3,271.47	**4,862,503**	**32,578.18**	2,840,363	13,199.81
5	बिहार	13,918,931	86,133.13	5,686,358	21,620.96	1,754,872	6,465.78	15,457,690	69,154.97	**36,817,851**	**183,374.84**	25,193,097	108,805.75
6	चंडीगढ़	54,957	1,480.81	27,482	129.19	1,227	9.47	8,714	64.30	**92,380**	**1,683.79**	24,565	192.81
7	छत्तीसगढ़	1,994,824	19,765.57	693,007	2,886.07	808,473	3,353.11	1,912,877	9,606.42	**5,409,181**	**35,611.17**	3,528,519	15,106.71
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	21,254	378.40	310	4.38	1,026	10.04	897	16.82	**23,487**	**409.63**	12,228	107.71
9	दिल्ली	1,078,937	16,887.55	257,077	996.80	45,975	171.89	365,040	1,601.59	**1,747,029**	**19,657.83**	1,027,034	4,268.08
10	गोवा	155,713	2,647.91	5,254	29.82	2,731	17.50	34,062	216.22	**197,760**	**2,911.44**	94,383	771.08
11	गुजरात	5,023,567	52,367.87	643,251	3,129.20	961,239	4,740.32	2,235,153	13,743.42	**8,863,210**	**73,980.81**	5,400,610	24,595.06
12	हरियाणा	1,936,434	26,376.26	2,237,955	9,399.79	147,854	612.76	1,211,870	6,776.06	**5,534,113**	**43,164.87**	3,213,042	14,491.66
13	हिमाचल प्रदेश	423,422	10,564.80	136,805	1,134.29	19,666	377.95	64,226	662.73	**644,119**	**12,739.77**	187,265	1,408.22
14	झारखंड	3,297,383	24,492.55	1,671,129	6,261.53	814,845	3,140.02	3,568,643	14,650.87	**9,352,000**	**48,544.96**	7,104,169	27,181.41
15	कर्नाटक	16,469,107	122,437.06	2,821,530	14,433.58	1,206,783	5,971.67	6,230,390	35,277.40	**26,727,810**	**178,119.71**	17,917,434	77,986.05
16	केरल	5,353,473	49,424.59	847,719	3,394.45	223,451	816.91	2,713,615	15,167.59	**9,138,258**	**68,803.55**	6,135,779	29,986.75
17	लक्षद्वीप	1,506	22.40	100	0.82	5,337	86.76	309	2.20	**7,252**	**112.18**	1,790	16.31
18	मध्य प्रदेश	5,587,727	49,237.40	3,151,987	12,677.24	2,243,426	9,171.66	6,202,906	33,437.81	**17,186,046**	**104,524.10**	11,599,325	47,741.34
19	महाराष्ट्र	12,616,899	110,955.10	3,025,828	11,816.11	1,463,064	5,675.88	6,109,615	27,866.28	**23,215,406**	**156,313.37**	18,472,436	76,036.01
20	मणिपुर	211,410	1,475.95	16,473	72.18	10,361	129.34	46,385	186.68	**284,629**	**1,864.15**	108,864	671.16
21	मेघालय	72,505	1,039.22	9,108	42.26	66,495	492.03	10,248	50.93	**158,356**	**1,624.44**	82,397	520.53
22	मिजोरम	33,493	468.46	3,765	15.60	56,518	1,139.04	2,894	14.02	**96,670**	**1,637.11**	60,407	966.80
23	नागालैंड	48,823	889.30	1,575	18.26	31,527	362.62	4,321	45.10	**86,246**	**1,315.28**	50,934	464.20
24	ओडिशा	7,547,274	51,066.11	3,173,622	11,036.51	1,553,037	5,261.89	6,431,364	24,127.26	**18,705,297**	**91,491.78**	14,550,610	54,048.80
25	पुद्दुचेरी	403,728	2,636.85	35,986	246.08	7,678	48.77	164,103	1,022.58	**611,495**	**3,954.28**	413,125	2,046.31

26	पंजाब	2,044,894	30,303.77	3,146,935	11,690.30	150,098	640.42	442,533	2,397.19	**5,784,460**	**45,031.68**	3,100,089	13,465.45
27	राजस्थान	4,361,316	54,828.95	3,331,824	14,750.54	2,174,345	9,488.35	3,947,339	28,498.49	**13,814,824**	**107,566.33**	8,615,640	36,232.77
28	सिक्किम	54,335	731.51	8,571	61.43	12,852	126.41	3,614	82.22	**79,372**	**1,001.57**	34,464	348.33
29	तमिलनाडु	22,625,637	144,484.15	2,682,243	14,102.77	444,063	2,216.84	5,549,115	35,709.66	**31,301,058**	**196,513.41**	21,221,284	105,325.12
30	तेलंगाना	2,408,495	28,484.50	405,157	2,525.40	245,592	1,834.36	1,132,528	7,635.41	**4,191,772**	**40,479.68**	2,324,936	12,630.28
31	त्रिपुरा	825,813	5,789.48	329,326	1,864.26	375,763	1,801.28	225,807	1,401.55	**1,756,709**	**10,856.56**	1,102,997	5,901.42
32	उत्तर प्रदेश	10,229,261	106,187.01	8,838,968	34,137.24	1,174,602	4,617.75	10,633,264	51,547.59	**30,876,095**	**196,489.60**	18,549,932	76,743.89
33	उत्तराखंड	793,877	12,857.11	448,446	2,007.84	61,971	322.10	524,032	2,569.02	**1,828,326**	**17,756.07**	1,120,735	5,575.61
34	पश्चिम बंगाल	21,837,875	140,897.12	4,376,023	19,907.67	972,258	4,622.13	1,677,312	8,576.75	**28,863,468**	**174,003.66**	20,470,995	91,735.45
35	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	1,330,829	29,091.45	33,883	287.58	13,312	152.42	31,380	377.15	**1,409,404**	**29,908.61**	321,014	5,596.41
36	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	15,735	456.37	130	3.99	27,158	758.28	233	4.17	**43,256**	**1,222.81**	12,172	254.72
	कुल	**150,634,493**	**1,263,666.22**	**48,769,557**	**206,292.45**	**17,430,964**	**77,556.64**	**79,021,150**	**408,107.90**	**295,856,164**	**1,955,623.20**	**197,585,306**	**872,989.99**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

*****